भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1289

सोमवार, 8 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक)

राष्ट्रीय श्रम और रोजगार नीति

1289. श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:
श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निष्पक्ष और लचीले श्रम पारिस्थितिकी तंत्र के लिए श्रम शक्ति नीति-2025 का मसौदा तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मसौदा नीति का उद्देश्य एक न्यायसंगत कार्यबल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या मसौदा नीति में कामगार सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा सुपुर्दगी, शिकायत निवारण और रोजगार सृजन से जुड़े मुद्दों का समाधान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मसौदा नीति में कार्य की उपयुक्त स्थिति सुनिश्चित करते हुए नवाचार, रोजगार सृजन और व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने के उपाय शामिल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या महिलाओं, अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों और स्वरोजगार कामगारों को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा विशिष्ट प्रावधान प्रस्तावित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार नीति को अंतिम रूप देने से पूर्व कई दौर का परामर्श करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार को भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस), ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रस (एआईटीयूसी), सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीआईटीयू), सेल्फ-एम्प्लॉयड वुमन एसोसिएशन (एसईडब्ल्यूए) तथा अन्य श्रम संघों से सुझाव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (छ): भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने "श्रम शक्ति नीति 2025 - राष्ट्रीय श्रम और रोजगार नीति" के मसौदे को एक विस्तृत विज़न दस्तावेज के रूप में तैयार

किया है जिसका उद्देश्य कामगारों के लिए (महिलायों, अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों और स्वरोजगार कामगारों सहित) एक समावेशी, निष्पक्ष और लचीला इकोसिस्टम बनाना है जिससे भारत 2047 तक विकसित भारत की दिशा की ओर तेज़ी से अग्रसर होगा ।

इस मसौदे नीति में एक समावेशी और अंतर-संचालित एकल खिड़की प्रणाली की भी परिकल्पना की गई है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी कामगारों को स्वास्थ्य, पेंशन, मातृत्व, दुर्घटना जीवन बीमा आदि को कवर करते हुए पूर्ण कानूनी और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए और सभी कामगारों के अधिकारों और हितों की रक्षा की जाए।

इस मसौदे नीति में प्रौद्योगिकी और हरित बदलावों के माध्यम से नए उभरते क्षेत्रों में रोजगार को भी बढ़ावा दिया गया है जिसमें कामगारों के कौशल/पुन: कौशल द्वारा, कम कार्बन उद्योगों में नवाचार को बढ़ावा दे कर तथा टिकाऊ क्षेत्रों में नई आजीविकाओं के निर्माण द्वारा हरित रोजगार, एआई-सक्षम सुरक्षा प्रणाली और नव-परिवर्तित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, इस मसौदे नीति में सहयोगात्मक संघवाद, साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और डिजिटल पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। यह केंद्र, राज्यों और कामगारों के प्रतिनिधियों सहित सामाजिक भागीदारों के बीच समन्वित कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास के लाभों को व्यापक और समान रूप से साझा किया जाए।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को मसौदा नीति पर विभिन्न ट्रेड यूनियनों बीएमएस, एआईटीयूसी, सीआईटीयू, एसईडब्ल्यूए से सुझाव प्राप्त हुए हैं और नीति निर्माण प्रक्रिया के भाग के रूप में उनके साथ त्रिपक्षीय परामर्श भी किया गया है।

*****